(21) 4

दौलत रोहड़ा
पूर्व प्रवक्ता

निवास : फाफाडीह नाका, गली नं. 4
सन्मति नगर, रायपुर (छ.ग.)
मोबा. : 93291-90700
ईमेल : rohradaulat@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

पत्र क.- 17 दिनांक : 12/8/2013

प्रति,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
कार्यालय-गृह सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली/New Delhi-1
19 AUG 2013
1440/RL
सी.आर. अनुभाग/नॉर्थ ब्लॉक/CR Section, North Block

RTI

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रमाणित जानकाकरी से संबंधित दस्तावेज अथवा जानकारी प्रदान करने बाबत्।

महोदय,

दिनांक 25.05.2013 परिवर्तन यात्रा में निकले कांग्रेसी नेताओं के उपर नक्सलियों ने दरभा स्थित जीरम घाटी में हमला कर हत्या कर दी थी। उक्त संबंध में निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज प्रदान करें जिससे ज्ञात हो सके कि-

5243/RTI/2013
21/8/13

1. दिनांक 15/05/13 से 30/05/13 तक छत्तीसगढ़ सरकार को नक्सली गतिविधियों के बारे में क्या-क्या फीड बैक व निर्देश दिये गये थे संबंधित संपूर्ण नस्ती की प्रतियों सहित कृत कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें।
2. मानव रहित विमान द्वारा दिनांक 15/05/13 से 30/05/13 तक नक्सली गतिविधियों के बारे में क्या-क्या फीड बैक व इनपुट दिये गये थे उन सभी इनपुट का विवरण प्रदान करेंगे।
3. एन.आई.ए. की जांच टीम में मुकेश गुप्ता को समन्वयक क्यों बनाया गया है जब कि उन्हे जांच के दायरे में लाना चाहिये था।

Dir (NM)

इस आवेदन का शुल्क रूपये दस (10/-) की पोस्टल आर्डर क्रमांक 19 F 429499 दिनांक 05/08/2013 संलग्न है।

आवेदक
[signature]
(दौलत रोहड़ा)
फाफाडीह नाका, गली नं. 4
सन्मति नगर, रायपुर (छ.ग.)
मो. नं. 93291-90700

9

आर.टी.आई

सं. I-11034/34/2013-एन.एम./एएनओ-I
भारत सरकार
गृह मन्त्रालय
नक्सल विभाग (ए.एन.ओ. विंग)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 10.09.2013
11.

सेवा में,

श्री दौलत रोहड़ा,
फाफाडीह नाका, गली नं. 4,
सन्मति नगर, रायपुर,
छतीसगढ

संदर्भ इस मंत्रालय का पत्र सं. 18015/06/2013-NM-II दिनांक 29.08.2013 है जिसके माध्यम से आपका सूचना का अधिकार का आवेदन दिनांक 12/08/2013 इस स्कंध को श्री शान्तणु, निदेशक एवं सीपीआईओ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ने दिनांक 29.08.2013 को अंतरित किया है।

2. चूँकि बिन्दु क में मांगी गई सूचना माओवादियों के खिलाफ लडाई में नक्सल विभाग की रणनीति से संबंधित है तथा इस सूचना के उजागर होने से उक्त रणनीति प्रभावित हो सकती है। अतः इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (क) के तहत अस्वीकार किया जाता है।

3. बिन्दु ख के लिए आपका आवेदन सुरक्षा सलाहकार (नक्सल विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को अंतरित किया जा रहा है।

4. बिन्दु ग के लिए आपका आवेदन महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA), एनडीसीसी - II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली को अंतरित किया जा रहा है।

5. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

PBNo-7/ANo-1/13
DE-11/9/13

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (एएनओ-I) & सीपीआईओ
टेली.फैक्स: 2309 4019

प्रतिलिपि

1. सुरक्षा सलाहकार (नक्सल विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
2. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA), एनडीसीसी - II भवन, जयसिंह रोड, नई दिल्ली।

OK

आर.टी.आई 13

सं. I-11034/34/2013-एन.एम./एएनओ-I

भारत सरकार

गृह मन्त्रालय

नक्सल विभाग (ए.एन.ओ. विंग)

कमरा सं. 13-ए, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 03.10.2013

सेवा में,

श्री दौलत रोहड़ा,
फाफाडीह नाका, गली नं. 4,
सन्मति नगर, रायपुर,
छतीसगढ

संदर्भ इस मंत्रालय का सम पत्रांक सं. दिनांक 11.09.2013 है जिसके माध्यम से आपका सूचना का अधिकार का आवेदन दिनांक 12/08/2013 के बिन्दु 1 का जवाब दिया गया था।

2. पुनः बिन्दु 2 में मांगी गई सूचना के संबंध में यह सूचित किया जाता है यह सूचना माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में नक्सल विभाग की आन्तरिक सुरक्षा रणनीति से संबंधित है तथा इस सूचना के उजागर होने से उक्त रणनीति प्रभावित हो सकती है। अतः इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (क) के तहत अस्वीकार किया जाता है।

3. उक्त आवेदन से संबंधित पुनरावेदन (Appeal), यदि आवश्यक हो तो इस आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्तर्गत श्री एम. ए. गणपति, संयुक्त सचिव (नक्सल विभाग), कमरा सं. 193-ए/1, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को किया जा सकता है।

दलजीत सिंह

(दलजीत सिंह चौधरी)
निदेशक (एएनओ-I) & सीपीआईओ
टेली.फैक्स: 2309 4019

प्रतिलिपि

सुरक्षा सलाहकार (नक्सल विभाग), नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

PB No-7/ANO-I/13
DI-03/10/13